डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

**No. 2021/HQ/Admin/RTI-748** **New Delhi: 30.07.2021**

**मौ आरिफ**
**पुत्र श्री सददीक**
**निवासी ग्राम मेघराजपुर**
**पोस्ट चन्दैना कोली, जिला सहारनपुर**
**उत्तर प्रदेश-247554**

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।**

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक Nil, जो मुख्य महाप्रबंधक/ मेरठ, के कार्यालय में दिनांक 05.07.2021 को एवं इस कार्यालय में दिनांक 29.07.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त बिन्दुवार सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

**सुश्री आर० पी० छिब्बर**
**समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,**
**5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,**
**प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001**

**संलग्न: 01** पृष्ठ

30/07/2021

**(एस. के. राय)**
**उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)**
**इ-मेल**-skroy@dfcc.co.in
**दूरभाष - 011-23454707**

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

पत्रांकः एमटीसी / ईएन / आर0टी0आई0 / भाग–8 दिनांकः 27.07.2021

**डिप्टी जी0एम0 / एडमीन (पी0आई0ओ0)**
कॉरपोरेट ऑफिस डीएफसीसीआईएल
प्रगति मैदान, नई दिल्ली।

**विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बंध में।**

**संदर्भः** आवेदनकर्ता मौ0 आरिफ पुत्र मौ0 सद्दीक निवासी ग्राम–मेघराजपुर, जिला–सहारनपुर, पिन–247554 दिनांक– NIL (प्राप्ति दिनांक–05.07.2021)।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना की जानकारी निम्नवत है।

| क्र0 सं0 | चाही गयी सूचना | उपलब्ध करायी जा रही सूचना |
|---|---|---|
| 1 | ग्राम मेघराजपुर के खसरा सं0 25 व 28 में से अधिग्रहित भूमि पर दोनों ओर पिलर लगा दिये गये हैं। पिलर से पिलर तक की दूरी कितने मीटर है। | ग्राम मेघराजपुर के खसरा सं0 25 व 28 में पिलर से पिलर की दूरी 31.00 मीटर है। |
| 2 | डीएफसी के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि पर मिट्टी का भराव किया गया है। पिलरों से अलग रास्ते के लिए जमीन किस कानून व आदेश के तहत ली जा रही है। | भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। |
| 3 | डीएफसी के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि पर पक्की निशनदेही करते हुए सीमेंट के पिलर दोनों ओर लगाए गये थे, यदि पिलरों से बाहर आपकी जमीन बच गयी थी तो उस वक्त बची जमीन पर निशानदेही कर पिलर क्यों नहीं लगाये गये। | रास्ता / चकमार्ग की भूमि राज्य सरकार की भूमि है, जिस पर डीएफसी अपना पिलर नहीं लगाती है। पिलर के बाहर जो भूमि डीएफसी द्वारा अधिग्रहित की गयी है, वह रास्ता / चकमार्ग की भूमि है, जोकि राज्य सरकार के अधीन है, जिस पर डीएफसी अपना पिलर नहीं लगाती है। |
| 4 | डीएफसी परियोजना के अधिकारी बोल रहे हैं कि जो रास्ते की जमीन हम ले रहे हैं उसका पैसा राज्य सरकार को दे दिया है, तो उसका चेक सं0 व किस दिनांक को बैंक में भेजा गया है। | परियोजना अन्तर्गत प्रभावित रास्ते / चकमार्ग की भूमि के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वांछित धनराशि राज्य सरकार / जिलाधिकारी के खाते में जमा की जानी है। |
| 5 | जब किसान ने आपके लगे सीमेंट के पिलर से बाहर बची अपनी भूमि पर ऐसी गर्मी मे गन्ना बुवाई कर ली है तो आवेदक से रास्ते के लिए जबरदस्ती गन्ने की फसल को किस कानून व अधिकार के अन्तर्गत नष्ट करके उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है। | रास्ता / चकमार्ग की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डीएफसी द्वारा भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। |

**संलग्नकः** आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र।

(महावीर सिंह)
उप. जनसूचना अधिकारी /
उप.परियोजना प्रबंधक / विद्युत